राजस्थान सरकार
वन विभाग
# कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( )वसु/मुवसं/2020–21/ 795 दिनांक :– 05-02-2021

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing Row from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (raj)
Proposal No.FP/RJ/OFC/51041/2020

संदर्भः– उप वन संरक्षक, बांसवाडा का पत्रांक/प()14/एफसी ओएफसी/उवस/2021/613–16 दिनांक 20.01.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से **0.0667** हैक्टर **M/s Telesonic Network Ltd. Indore (Masdhya Pradesh)** द्वारा Ratlam - Bamnia रोड तक कुल **0.0667** हैक्टर सड़क के किनारे ओ.एफ.सी. केबल डालने हेतु उप वन संरक्षक, बांसवाडा की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये है, जो इस कार्यालय की सहमती के साथ पार्ट –III की पूर्ति कर प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी तीन प्रतियों में मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। प्रकरण में कुल 1482.21 रनिंग मीटर की लम्बाई में OFC लाईन वन क्षेत्र में प्रस्तावित थी, जिसमें से यूजर एजेंसी द्वारा 1200 रनिंग मीटर लाईन वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन कर बिछा ली गई है। उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के संदर्भित रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में यूजर एजेंसी के विरूद्ध **FIR** संख्या 97–21 दिनांक 22.9.2020 दर्ज किया जाकर **1,50,000** क्षतिपूर्ति राशि वसूल की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।(मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा ( )वसु/मुवसं/2020–21/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 के क्रम में लेख है कि वन क्षेत्र में बिना पूर्व स्वीकृति कोई गैर वानिकी कार्य नहीं हो, यह सुनिश्चित करें व अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पाबन्द करें।

2– M/s Telesonic Network Ltd. Indore, Masdhya Pradesh

sd

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 613-16 दिनांक :– 20.01.2021

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

380
28/01/21

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली–भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कि कार्यवाही से बचने कि मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छायां–प्रतियां संलग्न है)।

यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2021 को मौका निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तदनुसार उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :–

FCA
21/1/21

क्रमशः 2 पर

| क्र. सं. | वन खण्ड का नाम | कं. नं. | राजस्व ग्राम | प्रभावित खसरा नंबर | कार्य निष्पादीत करवाए जाने की दिनांक एवं समय | वांछित कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल (है.में) | उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का क्षेत्रफल (है.में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कदवाली पोटलिया | 2 | पोटलिया, हल्दुपाड़ा, पाटन | 125 / 2, 132, 182, 548 / 125 | दिनांक 21.09.2020 कि रात्रि में। | 0.0667 | 0.0540 |

मौका निरीक्षण करने पर यह भी पाया गया है कि यूजर एजेंसी के द्वारा बिना सक्षम अनुमति के 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में बिछा दी गई OFC को क्षेत्रिय के द्वारा निर्देशित करने के बाद भी वन भूमि से नहीं हटाया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

## PART - III

(to be filled by the concerned Chief Conservator of Forests)

Proposal No. **FP/RJ/OFC/51041/2020**

| | | |
|---|---|---|
| 14. | Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Chief Conservator of forests (Yes/No.) , if yes the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed. | Inspection is not mandatory as the forest area involved is only **0.0667** ha. (Below 40 ha.) |
| 15. | Whether the concerned Chief Conservator of Forests agrees with the information given in Part-A and Part-B the recommendations of Deputy Conservator of Forests. | Agree with the information given in Part I & recommendations of D.C.F. Banswara in part II. |
| 16. | Specific recommendation of concerned Chief Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons. | Proposal may be accepted. |

Dated : 05/2/2021
Place : Udaipur

**( R.K.Singh )**
Regional Chief Conservator of Forests
Udaipur